

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 07, बुधवार, शाके 1947- अक्टूबर 29, 2025 Kartika 07, Wednesday, Saka 1947- October 29, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2025

जी.एस.आर.87 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची-II का संशोधन.-** राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 से संलग्न अनुसूची-II में, विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

8.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड- II
----	--	-----------------

"

[सं. एफ.19(1)डीओपी/ए-II/2022]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 17, 2025

G.S.R.87 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022, after the existing serial number 7 and entries thereto, the following new serial number 8 and entries thereto shall be added, namely:-

“

8.	Rajasthan Staff Selection Board Ministerial Services	Clerk Grade II
----	--	----------------

”

No. F. 19(1) DOP/A-II/2022

By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.